9-862/10

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना।

(जिला शस्त्र शाखा)

--: आदेश :--

2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-862/2010 में आवेदक **श्री रमेश कुमार सिंह,** पिता-श्री सच्चिदानन्द सिंह, सा0-दरवेशपुर बगीचा, थाना-मनेर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-14.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे खेती एवं व्यवसायी करते हैं। उनकी वार्षिक आय 90,000/- (नब्बे हजार) रूपये प्रतिवर्ष है। अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक-624/गो0, दिनांक-08.04.2010 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना एवं सहायक पुलिस अधीक्षक, दानापुर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, मनेर के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, मनेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जान-माल की सुरक्षा हेतु आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ हीं थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजुद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-11016/16/2009, शंस्त्र दिनांक-31.03.2010 की कंडिका-II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :-

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका-II की उप कंडिका-b तथा e निम्नवत है :-

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-

P/10

-9-. 9-862/10

11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री रमेश कुमार सिंह, पिता–श्री सच्चिदानन्द सिंह, सा0–दरवेशपुर बगीचा, थाना–मनेर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक